

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2021- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. (अ) - एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4414" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 29 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "7419 80" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 354/281/2021-टीआरयू]

(राजीव रजंन)
अवर सचिव, भारत सरकार